

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 1320/1111/2015/नियम/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2015

905
18/8/15

संचालक
पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा
म.प्र. ।

विषय- म. प्र. न्यायिक सेवा (वेतन/पेंशन अन्य सेवानिवृत्त लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 में दिये गये निर्देशों के अनुसार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को गृह सहायक भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता के भुगतान के संबंध में ।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक संपे/आठ/डी-419/2015/397 दिनांक 27-5-15.

मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि म.प्र. न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को गृह सहायक भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता का भुगतान आपके प्रस्तावानुसार मुख्य शीर्ष 2071-01-101 से किया जाए ।

For imm.
n.i's.

JD



(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0क्रमांक / संपे / आठ / वि.वि.जा.-1320/2015 / 1459
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5/10/2015

- 1-सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2-मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (सी.पी.पी.सी.) शाखा गोविंदपुरा, भोपाल की आरे पालनार्थ उपरोक्त निर्देशानुसार पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें ।
- 3-समस्त जिला कोषालय अधिकारी म0प्र0 की ओर पालनार्थ उपरोक्त निर्देशानुसार पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें ।
- 4-समस्त संभागीय पेंशन अधिकारी म0प्र0 / समस्त जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ उपरोक्त निर्देशानुसार पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें ।

(अजय चौबे)

संयुक्त संचालक,
पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा